रजिस्ट्री सं० डी-221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 25] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1965/फाल्गुन 29, 1886

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1965/PHALGUNA 29, 1886

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi-1, the 20th March 1965

No. 104/1/C/65.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 19th March, 1965 is hereby published for general information:

"**No. 1249**

Amendments to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha

In pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has issued the following amendments to the Directions:—

AMENDMENTS TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER UNDER THE RULES OF PROCEDURE OF

LOK SABHA

Direction 2

For the existing Direction 2, the following shall be *substituted*:—

"2. *Relative precedence of different classes of business before the House*—Unless the Speaker otherwise directs on any particular

occasion, the relative precedence of the classes of business before the House specified below shall be in the following order, namely:—

(i) Oath or affirmation.

(ii) Obituary references.

(iii) Questions (including short notice questions).

(iv) Calling attention notices.

(v) Leave to move motions for adjournment of the business of the House.

(vi) Questions involving a breach of privilege.

(vii) Papers to be laid on the Table.

(viii) Communication of messages from the President.

(ix) Communication of messages from the Council of States.

(x) Intimation regarding President's assent to Bills.

(xi) Communications from Magistrates or other authorities regarding arrest or detention or release of members of the House.

(xii) Announcements by the Speaker regarding leave of absence of members from the sittings of the House.

(xiii) Announcements by the Speaker regarding various matters, e.g., resignations of members of the House, nominations to panel of Chairmen, Committees, etc.

(xiv) Rulings by the Speaker.

(xv) Presentation of reports of Committees.

(xvi) Laying of evidence before Select/Joint Committees on Bills.

(xvii) Presentation of petitions.

(xviii) Statements by Ministers.

(xix) Personal statements by ex-Ministers in explanation of their resignation.

(xx) Statements under Direction 115.

(xxi) Personal explanations under rule 357 (if not made during the debate).

(xxii) Motions for election to Committees.

(xxiii) Motions for extension of time for presentation of reports of Select/Joint Committees on Bills.

(xxiv) Motions for adoption of Reports of Business Advisory Committee.

(xxv) Motions for leave to move Resolution for removal of Speaker/ Deputy Speaker.

(xxvi) Motions for leave to make a motion of no-confidence in the Council of Ministers.

(xxvii) Bills to be withdrawn.

(xxviii) Bills to be introduced.

(xxix) Laying of explanatory statements giving reasons for immediate legislation by Ordinances.

(xxx) Raising of matters, under rule 377, which are not points of order.

(xxxi) Consideration of reports of Committee of Privileges."

DIRECTIONS BY THE SPEAKER UNDER THE RULES OF PROCEDURE OF LOK SABHA

In pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has issued the following direction:—

"(iv) **Notices of adjournment motions, calling attention, motions of no-confidence in the Council of Ministers, questions of privilege, etc.**

113B. *Time limit for giving notices of certain categories.*—Notices of adjournment motions, calling attention to matters of urgent public importance, motions of no-confidence in the Council of Ministers, questions of privilege, or any other notice required to be given before the commencement of the sitting on the day on which the matter is proposed to be raised in the House, shall be given by 10.45 hours on that day.

Such notices, if received after 10.45 hours, shall be treated as notices given for the next sitting."

[To be inserted after direction 113A of the Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha (Second Edition).]"

S L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1965

संख्या 104/1/सो/65—निम्नलिखित कंडिका जो 19 मार्च 1965 के लोक-सभा समाचार-भाग 2 में प्रकाशित हुई थी, सर्व साधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है :

"संख्या 1249

लोक-सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोधन

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमो (पांचवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण मे अध्यक्ष ने निदेशो मे निम्नलिखित संशोधन जारी किये है :—

लोक-सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोधन

निदेश 2

वर्तमान निदेश 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

"2. **सभा के समक्ष कार्य के विभिन्न वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता**—यदि किसी विशिष्ट अवसर पर अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें तो सभा के समक्ष कार्य के निम्न निर्दिष्ट वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निम्नलिखित क्रम मे होगी, अर्थात :—

(एक) शपथ या प्रतिज्ञान ।
(दो) निधन सम्बन्धी उल्लेख ।
(तीन) प्रश्न (अल्प-सूचना प्रश्नो समेत) ।
(चार) ध्यान दिलाने वाली सूचनायें ।
(पांच) सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति ।
(छः) विशेषाधिकार-भंग सम्बन्धी प्रश्न ।
(सात) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

(आठ) राष्ट्रपति के संदेश सुनाना ।

(नौ) राज्य-सभा के सन्देश सुनाना ।

(दस) विधेयको पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना ।

(ग्यारह) सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी अथवा नजरबन्दी अथवा रिहाई के बारे में मजिस्ट्रेटों अथवा अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनायें ।

(बारह) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा ।

(तेरह) सभा के सदस्यों के पद-त्याग सभापति-तालिका, समितियों आदि में नाम-निर्देशन आदि विविध विषयों के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं ।

(चौदह) अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय ।

(पन्द्रह) समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

(सोलह) विधेयकों के बारे में प्रवर/संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का रखा जाना ।

(सत्रह) याचिकाओं का उपस्थापन ।

(अट्ठारह) मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ।

(उन्नीस) अपने पद-त्याग के स्पष्टीकरण मे भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत वक्तव्य ।

(बीस) निदेश 115 के अधीन वक्तव्य ।

(इक्कीस) नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (यदि वाद-विवाद दौरान न किया गया हो) ।

(बाईस) समिति के लिये निर्वाचन के प्रस्ताव ।

(तेईस) विधेयकों सम्बन्धी प्रवर/संयुक्त समितियों के प्रतिवेदनो के उपस्थापन के लिये समय बढ़ाये जाने के लिये प्रस्ताव ।

(चौबीस) कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदनों को स्वीकार करने के लिये प्रस्ताव ।

(पच्चीस) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने के लिये संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव ।

(छब्बीस) मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव ।

(सत्ताईस) वापस लिये जाने वाले विधेयक ।

(अट्ठाईस) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक ।

(उनतीस) अध्यादेशों द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्यों का रखा जाना ।

(तीस) नियम 377 के अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्य प्रश्न नहीं हैं ।

(इकतीस) विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार ।"

लोक-सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा निदेश

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (पाचवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण मे अध्यक्ष ने निम्नलिखित निदेश जारी किया है :—

"(चार) स्थगन प्रस्तावों, ध्यान दिलाने, मंत्रि-परिषद में अविश्वास के प्रस्तावों, विशेषाधिकार के प्रश्नों आदि की सूचनायें

113 ख. **कुछ प्रकार की सूचनायें दिये जाने के लिये समय-सीमा**—स्थगन प्रस्तावो अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने, मंत्रि-परिषद् मे अविश्वास के प्रस्तावों, विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचनायें, अथवा अन्य कोई सूचना जो कि उस दिन की सभा की बैठक के आरम्भ होने से पूर्व दी जानी चाहिये जिस दिन के विषय को सभा मे उठाया जाना है, उस दिन 10 45 बजे तक दे दी जायेगी ।

ऐसी सूचनायें यदि 10. 45 बजे के पश्चात प्राप्त होंगी तो उन्हें आगामी बैठक के लिये दी गई सूचनाये माना जायेगा ।"

[लोक-सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमो (दूसरा संस्करण) के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 113 क के पश्चात् रखा जाये ।]"

श्यामलाल शकधर, सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965